

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र06-रा0कू0-01/2010 5876 /खाद्य, पटना/दिनांक- 30/6/2011

प्रेषक,

के0 सी0 झा
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना
अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) पटना
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी ।

विषय:- बारकोड राशन/किरासन कूपन की स्कैनिंग के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्र संख्या-7240 दिनांक- 15.12.2010 द्वारा भुगतानशुदा राशन/किरासन कूपनों की प्रति विक्रेताओं से निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक द्वारा प्राप्त कर वसुधा केन्द्रों में कार्यरत CSCs के VLEs (Village Level Entrepreneur) को प्रतिमाह उपलब्ध कराकर स्कैनिंग कराने तथा तदनुसार कूपन लिंकड आवंटन करने का निदेश दिया गया था । परन्तु भुगतानशुदा राशन/किरासन कूपनों की स्कैनिंग के सम्बन्ध में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलॉपमेंट कॉरपोरेशन (BELTRON) के साथ हुये विभिन्न समीक्षा बैठकों एवं उनसे प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी द्वारा इस हेतु बसुधा केन्द्र के साथ अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है । प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा कहीं-कहीं समय पर कूपन उपलब्ध नहीं कराये जाने तो कहीं इस पूरी योजना से अनभिज्ञता व्यक्त किये जाने अथवा VLEs से प्राधिकार पत्र की मांग किये जाने के कारण स्कैनिंग नहीं कराने की शिकायतें प्राप्त हुई है ।

2. उल्लेखनीय है कि एक पंचायत का कूपन का किसी अन्य पंचायत में दुरुपयोग अथवा कालाबाजारी की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से कूपनों का बार कोडिंग कराया गया है तथा भुगतानशुदा कूपन का स्कैनिंग के पश्चात् ही कूपन लिंकड आवंटन करने की व्यवस्था की गई है । परन्तु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा किये जा रहे असहयोग के कारण कूपनों का स्कैनिंग नहीं हो पा रहा है तथा बार कोडिंग का उद्देश्य भी पूरा नहीं पा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त व्यवस्था/निदेश से जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को अवगत कराते हुए संबंधित प्रखंड के वसुधा केन्द्रों पर स्थापित CSCs के VLEs (Village Level Entrepreneur) से सम्पर्क स्थापित कर प्रति माह भुगतानशुदा कूपनों का स्केनिंग कराकर ही अगले माह के लिए खाद्यान्न/किरासन तेल का उपावंटन सुनिश्चित किया जाय । इसमे किसी प्रकार की लापारवाही अवांछनीय है, अतः इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाय ।

विश्वासभाजन,
 29.06.11
 सरकार के अपर सचिव ।